भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3920
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः झारखण्ड में परम्परागत कृषि विकास योजना

3920. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड के गिरिडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार झारखंड में पर्यावरण अनुकूल और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो जागरूकता कार्यक्रमों, सब्सिडी और किसान सहायता तंत्र सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और विशेष रूप से गिरिडीह लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): झारखंड सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 2022-23 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) स्कीम के तहत गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 2927 किसानों को शामिल करते हुए जैविक खेती के तहत 2600 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 2.1875 करोड़ रुपये के फंड की स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग): पीकेवीवाई स्कीम के माध्यम से जैविक किसानों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और मार्केटिंग तक समग्र सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का मुख्य फोकस, छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर का निर्माण करना है।

किसानों को जागरूक करने के लिए पीकेवीवाई स्कीम के तहत प्रशिक्षण, सहायता, प्रचार और मार्केटिंग के माध्यम से कई पहल की जाती हैं। पीकेवीवाई स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से डीबीटी के माध्यम से किसानों को जैव उर्वरकों सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) और इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (आरसीओएनएफ), जो गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इम्फाल और भुवनेश्वर में स्थित है, जैविक उर्वरकों के उपयोग सहित जैविक और प्राकृतिक खेती पर विभिन्न एचआरडी प्रशिक्षण और ऑनलाइन जागरूकता अभियान आयोजित कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करती है।

(घ): प्रारंभ में, पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उपयोग से फसलों के उत्पादन में गिरावट होने की धारणा जैसी मुख्य चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा था। हैंडहोल्डिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं से पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन होने से इनपुट की लागत कम हो जाती है।

*****